

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:- 12/144/2024

रजू दिनांक: 29.09.2024

रजि0 न0 2024/254

अपीलार्थी:-

श्री दिलीप कुमार, नि0 ग्रीनलेम इन्डस्ट्रीज,
बहरोड़-अलवर हाल जिला कोटपूतली-
बहरोड़-301701 (राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला
कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर जिला अलवर
301001 (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---: निर्णय :---

दिनांक:- 25.11.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 22.09.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 26.10.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 11.11.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र क्रमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2024/2147 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन सं0 293225045430583 दिनांक 22.09.2024 के परिपेक्ष्य में चाही गई सूचना के क्रम में अपीलार्थी द्वारा RTI Online आवेदन संख्या 293225045430583 दिनांक 22.09.2024 आवेदन के माध्यम से श्रम विभाग से संबंधित सूचना चाही गई थी जो श्रम विभाग के किस कार्यालय से संबंधित है, का निश्चित वर्णानकन नहीं होने के कारण, अन्तरण भी संभव नहीं होने के कारण, ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 6249042199 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से आवेदन खारिज कर, विनिश्चय किया जाकर सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रथम अपील के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं0 6249042199 दिनांक 16.11.2024 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा जरिये प्रतिलिपि क्रमांक 2148 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना पुनः प्रेषित की जा चुकी है। अपील अपीलांत अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलेक्टर अलवर
(राजस्थान)